# न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 3207 /विधि  सहरसा, दिनांक 01-11-2023

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-82/2022 एवं 98/2022 में दिनांक-31.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी वाद सं0-26/2021 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक एवं अन्य कागजात कुल-175 पृ0) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

प्रतिलिपि :- मधु कुमारी, पति-विजय पासवान / पूनम कुमारी, पति-शंभू राम सा0-मरीचा, ग्राम पंचायत-कर्णपुर, प्रखंड+थाना+जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ग्राम पंचायत-कर्णपुर, वार्ड नं0-12, आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-326 सुपौल में आँगनबाड़ी सेविका पद हेतु वर्ष 2020 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त के आलोक में मधु कुमारी एवं पूनम कुमारी द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया। दिनांक 14.12.2020 को प्रथम बार आमसभा की बैठक हुई तत्पश्चात 21.12.2020 को दूसरी बार आमसभा की बैठक हुई जिसमें पूनम कुमारी के खिलाफ कई आपत्ति पायी गयी तत्पश्चात मधु कुमारी का चयन आमसभा द्वारा करते हुए चयन पत्र निर्गत किया गया जिसके खिलाफ पूनम कुमारी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल के समक्ष वाद सं0-04/2021 दाखिल किया जो खारिज हो गया। तत्पश्चात जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के यहाँ वाद सं0-26/2021 दाखिल किया गया। जिसमें सुनवाई पश्चात दिनांक 06.06.2021 को आदेश पारित करते हुए सम्पूर्ण

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९ )

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

| आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १ | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २ | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३ |
|---|---|---|

# न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

**आँगनाबाड़ी वाद संख्या-82/2022 एवं 98/2022**

**मधु कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य**

**तथा**

**पूनम कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य**

**-:आदेश:-**

प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद मधु कुमारी, पति-विजय पासवान, सा0-मरीचा, वार्ड नं0-12, ग्राम पंचायत-कर्णपुर, प्रखंड+थाना+जिला-सुपौल द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के यहाँ वाद सं0-26/2021 में दिनांक 06.06.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया। इसी आदेश के खिलाफ पूनम कुमारी, पति-शंभू राम, सा0-मरीचा, ग्राम पंचायत-कर्णपुर, प्रखंड+थाना+जिला-सुपौल द्वारा भी पुनरीक्षण वाद लाया गया है।

संक्षेप में मामला निम्न है:-

ग्राम पंचायत-कर्णपुर, वार्ड नं0-12, आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-326 सुपौल में आँगनबाड़ी सेविका पद हेतु वर्ष 2020 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त के आलोक में मधु कुमारी एवं पूनम कुमारी द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया। दिनांक 14.12.2020 को प्रथम बार आमसभा की बैठक हुई तत्पश्चात 21.12.2020 को दूसरी बार आमसभा की बैठक हुई जिसमें पूनम कुमारी के खिलाफ कई आपत्ति पायी गयी तत्पश्चात मधु कुमारी का चयन आमसभा द्वारा करते हुए चयन पत्र निर्गत किया गया जिसके खिलाफ पूनम कुमारी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल के समक्ष वाद सं0-04/2021 दाखिल किया जो खारिज हो गया। तत्पश्चात जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के यहाँ वाद सं0-26/2021 दाखिल किया गया। जिसमें सुनवाई पश्चात दिनांक 06.06.2021 को आदेश पारित करते हुए सम्पूर्ण

चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया। पूनम कुमारी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखा गया। उनका कहना है कि वर्ष 2020 में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में पूनम कुमारी एवं मधु कुमारी द्वारा आवेदन समर्पित किया गया। पूनम कुमारी का मेधा अंक 47 प्रतिशत और कुमारी का मेधा अंक 40.80 प्रतिशत है। दिनांक 14.12.2020 को प्रथम आमसभा आयोजित किया गया, परंतु वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच द्वारा हस्ताक्षर से इन्कार के कारण आमसभाा स्थगित कर दिया गया, पुनः दिनांक 21.12.2020 को दूसरी बार आमसभा का आयोजन किया गया लेकिन पुनः आमसभा स्थगित करने की घोषणा की गयी, लेकिन दिनांक 21.12.2020 की तिथि में ही मधु कुमारी को सेविा पद हेतु चयन पत्र निर्गत कर दिया गया, जबकि मेधा अंक में पूनम कुमारी का अंक अधिक है। उक्त चयन के विरूद्ध बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल के समक्ष वाद सं0-04/2021 दाखिल किया गया, लेकिन वहाँ से भी न्याय नहीं मिलने के उपरान्त जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के समक्ष वाद सं0-26/2021 दाखिल किया गया, लेकिन सुनवाई के पश्चात अपीलार्थी का जाति प्रमाण-पत्र पति के नाम से रहने के कारण एवं पूनम कुमारी एवं उनकी पुत्री में मात्र छः वर्ष का अन्तर रहने को संदेहास्पद मानते हुए खारिज कर दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है।

मधु कुमारी का पक्ष उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा रखा गया। उनका कहना है कि सुपौल जिलान्तर्गत कर्णपुर पंचायत वार्ड नं0-12 के आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-326 हेतु वर्ष 2020 में प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में मधु कुमारी एवं पूनम कुमारी द्वारा आवेदन समर्पित किया गया, दिनांक 14.12.2020 को प्रथम बार आमसभा की बैठक हुई जिसमें पूनम कुमारी के खिलाफ पति के नाम से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं जाल-साजी से मध्यमा का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने जिसमें उम्र को कम कर दिखाया गया है और शिकायत दर्ज होने के कारण आमसभा में चयन सम्पन्न नहीं हो पाया। द्वितीय आमसभा 21.12.2020 को हुई जिसमें उक्त शिकायत को सही पाकर सही अभ्यर्थी मधु कुमारी का चयन सर्वसम्मति से किया गया एवं चयन पत्र निर्गत किया और तब से बिना कोई शिकायत के आँगनबाड़ी केन्द्र का संचालन कर रही है। उक्त चयन के विरूद्ध विपक्षी पूनम कुमारी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल के समक्ष वाद सं0-04/2021 दाखिल की गयी। पूनम कुमारी के

दाखिल आपत्ति पर जाँच गठित की जिसके द्वारा जाँचोपरान्त अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया तत्पश्चात अपील को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पूनम कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के यहाँ वाद सं0-26/2021 लाया गया, जिसमें सारे तथ्यों को दरकिनार करते हुए समूचे चयन प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया गया, जिस कारण श्रीमान के समक्ष न्याय हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के द्वारा मधु कुमारी का जाति प्रमाण-पत्र पति के नाम से निर्गत होने के आधार बनाया गया है जबकि निम्न न्यायालय अभिलेख में भी पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संलग्न है जिसका संज्ञान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल द्वारा नहीं किया गया। अतः उस आधार पर चयन रद्द करना बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। मधु कुमारी का चयन आमसभा एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल द्वारा जाँच गठित कर जाँच प्रतिवेदन के बाद ही चयन को मंजूरी दी गयी है। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्कय है कि विपक्षी पूनम कुमारी द्वारा सही तथ्यों को छिपाकर प्रमाण-पत्र हासिल की है जिसमें जन्म तिथि 09.02.1991 है जबकि मतदाता सूची में उम्र 42 वर्ष है साथ ही उनकी पुत्री सुलोचना कुमारी की जन्म तिथि 04.03.1997 है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से निर्गत है अर्थात् दोनों की उम्र में मात्र 06 '(छः) वर्ष का अंतर है, जो संदेहास्पद एवं भ्रामक है निम्न न्यायालय द्वारा जाति प्रमाण-पत्र पिता के नाम से न होकर पति के नाम से होने का हवाला देकर खारिज किया गया है जबकि पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र अभिलेख पर मौजूद है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा सम्यक रूप से अभिलेख का अवलोकन नहीं किया एवं आदेश पारित किया, जबकि मधु कुमारी का जाति प्रमाण-पत्र, जिसमें उनके पिता का नाम अंकित है आवेदन के समय जमा किया गया था। निम्न न्यायालय के आदेश को खंडित करते हुए पूर्व चयनित मधु कुमारी का चयन नियमानूकुल मानते हुए चयन को यथावत रखने का आदेश पारित किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती

है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।